भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1487

शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का कार्यान्वयन

1487. श्री उज्जवल देवराव निकम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के कार्यान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उक्त नीति के प्रारंभ होने के पश्चात् सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार हेतु कौन-कौन से प्रमुख सुधार किए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) की शुरुआत सितंबर, 2022 में की गई थी। इसका उद्देश्य: (i) भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना; (ii) लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक रैंकिंग में सुधार करना; तथा (iii) कुशल लॉजिस्टिक्स ईकोसिस्टम हेतु डाटा-आधारित निर्णय लेने के लिए सहायता प्रणाली तैयार करना है। प्रमुख सुधारों सहित प्रगति निम्नानुसार है:

- डीपीआईआईटी द्वारा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के सहयोग से भारत में लॉजिस्टिक्स लागत के संबंध में किए गए नवीनतम आकलन के अनुसार लॉजिस्टिक्स लागत के जीडीपी के लगभग 7.97 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के समान ही है।
- विश्व बैंक के नवीनतम वैश्विक लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक (एलपीआई) में भारत की रैंकिंग 6 स्थान के सुधार के साथ 38वें स्थान पर पहुंच गई है।
- 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी-अपनी लॉजिस्टिक्स नीतियां तैयार कर ली हैं। 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है।

- एक एकीकृत लॉजिस्टिक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म-यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप), जो लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों को एकीकृत करता है, शुरू किया गया है और प्रचालनरत है ताकि एपीआई के माध्यम से डाटा साझा करने की सुविधा प्रदान की जा सके।
- लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक (एलडीबी) विकसित किया गया है, जो पत्तनों, सीएफएस (कंटेनर फ्रेट स्टेशनों) और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) के सभी एक्जिम (निर्यात-आयात) कंटेनरों की मॉनीटरिंग करता है।
- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से संबंधित शिकायतों/मुद्दों के समाधान और सुधारों के सुझाव हेतु सेवा सुधार समूह (एसआईजी) को संस्थागत किया गया है।
- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन का आकलन करने के लिए लॉजिस्टिक्स ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स) फ्रेमवर्क को संस्थागत रूप दिया गया है।
- कोयला, इस्पात, उर्वरक, सीमेंट, औषध, खाद्य आदि प्रमुख वस्तुओं के मामले में कुशल लॉजिस्टिक्स हेतु क्षेत्रगत योजना (एसपीईएल) शुरू की गई है।
- 100 से अधिक विश्वविद्यालयों/संस्थानों में लॉजिस्टिक्स से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कौशल विकास के लिए कुल 68 क्वालिफिकेशन पैक (क्यूपी) लागू किए गए हैं, ताकि दक्षता बढ़ाई जाए, प्रशिक्षण को मानकीकृत किया जा सके और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कौशल की कमी को दूर किया जा सके। इन क्यूपी में डिजिटल साक्षरता को भी शामिल किया गया है, ताकि प्रत्येक प्रशिक्षु को कौशल विकास के दौरान आवश्यक डिजिटल दक्षताएं प्राप्त हो सकें।
- भू-पत्तन सहित पत्तनों और हवाई अड्डों पर प्रक्रियाओं का मानकीकरण किया गया है।
- लॉजिस्टिक्स से संबंधित समस्याओं के समाधान और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की समग्र दक्षता में सुधार के लिए सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान तैयार करने हेतु मॉडल दिशा-निर्देश, वेयरहाउसिंग मानकों पर ई-हैंडबुक, एनएलपी-मरीन आदि जैसी विभिन्न अन्य पहलें भी की गई हैं।
